महत्वपूर्ण एवं खास

नौकरी दिलाने का झांसा देकर 35 लाख की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। खाद्य निरीक्षक के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 35 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर अभनपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी मुकेश कुमार देशलहरे 26 वर्ष नायकबांधा अभनपुर का रहने वाला है। बताया जाता है कि आरोपी महेश्वर लाल सोनवानी 46 वर्ष ने प्रार्थी को खाद्य विभाग में निरीक्षक के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर अलग-अलग किस्तों में कुल 35 लाख रुपए ले लिया और आरोपी ने प्रार्थी को फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया। जब प्रार्थी उक्त प्रमाण पत्र को लेकर जब खाद्य विभाग पहुंचा, तो पता चला कि वह फर्जी है। जिससे उसने आरोपी से अपना पैसा वापस मांगा। आरोपी ने प्रार्थी को पैसा ना देकर गाली-गलौज कर मारपीट किया। प्रार्थी की शिकायत पर अभनपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 294, 506 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

लाखों रुपए का माल लेकर चालक फरार

रायपुर (आरएनएस)। एसकेएस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड सिलतरा से दो ट्रक लाखों रुपए का माल लेकर फरार हो गया। प्रार्थी की शिकायत पर धरसींवा पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ अमानत में ख्यानत का मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी आकाश अग्रवाल 20 वर्ष पंचधाम मंदिर के पास टाटीबंध का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि सिलतरा के एसकेएस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड से ट्रक क्रमांक पीबी 06 एजी 1414 के चालक व अन्य तीन लोगों ने 2 ट्रक में लोहे का सरिया 90.9 टन कीमती 54,96,096 लाख रूपये का माल को लोड कर रवाना हुआ था जो गंतव्य स्थान पर ना पहुंचाकर अमानत में ख्यानत किया। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 407,34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

ट्रक की ठोकर से बाइक सवार की मौत

रायपुर (आरएनएस)। ग्राम तिवरैया के पास ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मामले में धरसींवा पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक किशन लाल वर्मा 41 वर्ष ग्राम मांढर का रहने वाला था। बताया जाता है कि वह अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी ग्राम तिवरैया के पास ट्रक क्रमांक सीजी 08 एए 3448 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दिया। जिससे किशन की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक के खिलाफ कार्रवाई की है।

दो मासूम संग मां फांसी पर झूली

कांकेर-रायपुर (आरएनएस)। मां की उसके दो मासूम बच्चों के साथ घर में फंदे पर लटकी लाश मिली है. घटना चारामा थाना क्षेत्र के बड़ेगौरी गांव की है, जहां 27 वर्षीय कविता तेता ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ फांसी लगा ली है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है।

कुंए में मिला नवजात का शव

पत्थलगांव-रायपुर (आरएनएस)। जिले के एक गांव में कुंए में नवजात शिशु का शव मिला है. इससे इलाके में हडक़ंप मच गया. लाश मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र के मुड़ापारा गांव का है। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि प्रथमदृष्टि में यह बिन ब्याही मां की करतूत का मामला प्रतीत हो रहा है. फिलहाल पुलिस ने कुएं से नवजात शिशु का शव निकाल कर उसे अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रायपुर-दुर्ग से चलने वाली 27 ट्रेनें रद्द

रायपुर । आरएनएस

रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के अंतर्गत रायपुर-दुर्ग सेक्शन में सरोना और कुम्हारी के मध्य ऑटोमेटिक सिगनलिंग और अन्य अपग्रेडेशन कार्य दिनांक 20 अप्रैल 21.00 बजे से दिनांक 21 अप्रैल को 6.00 बजे तक 09 घंटे का नॉन इंटरलॉकिंग अपग्रेडेशन कार्य किया जाएगा। जिसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संचालित होने वाली 27 ट्रेंने आज व कल रद्द रहेगी।

रद्द होने वाली गाडियां:-

(1) गाड़ी संख्या 08701 रायपुर-दुर्ग मेमू पैसेंजर रायपुर से दिनांक 20 एवं 21 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

(2) गाड़ी संख्या 08702 दुर्ग-रायपुर मेमू पैसेंजर दुर्ग से दिनांक 20 एवं 21 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

(3) गाड़ी संख्या 08705 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर दिनांक 20 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

(4) गाड़ी संख्या 08706 डोंगरगढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर दिनांक 20 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

(5) गाड़ी संख्या 08707 रायपुर-दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल दिनांक 20 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

(6) गाड़ी संख्या 08708 दुर्ग-रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल दिनांक 20 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

(7) गाड़ी संख्या 08709 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल दिनांक 19 एवं 20 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

(8) गाड़ी संख्या 08710 डोंगरगढ़-रायपुर पैसेंजर दिनांक 20 एवं 21 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

(09) गाड़ी संख्या 08725 रायपुर-दुर्ग मेमू पैसेंजर दिनांक 19 एवं 20 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

(10) गाड़ी संख्या 08726 दुर्ग-रायपुर मेमू पैसेंजर दिनांक 20 एवं 21 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

(11) गाड़ी संख्या 08721 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर दिनांक 19 एवं 20 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

(12) गाड़ी संख्या 08723 डोंगरगढ़-गोंदिया मेमू पैसेंजर दिनांक 19 एवं 20 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

(13) गाड़ी संख्या 08724 गोंदिया-रायपुर मेमू पैसेंजर दिनांक 20 एवं 21 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

(14) गाड़ी संख्या 08729 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल दिनांक 19 एवं 20 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी

(15) गाड़ी संख्या 08730 डोंगरगढ़-रायपुर पैसेंजर दिनांक 20 एवं 21 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

(16) गाड़ी संख्या 08267 रायपुर -नेताजी सुभाष चंद्र बोष इतवारी मेमू पैसेंजर दिनांक 20 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

(17) गाड़ी संख्या 08268 नेताजी सुभाष चंद्र बोष इतवारी- रायपुर मेमू पैसेंजर दिनांक 21 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

(18) गाड़ी संख्या 18109 टाटानगर -नेताजी सुभाष चंद्र बोष इतवारी मेमू पैसेंजर दिनांक 19 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

(19) गाड़ी संख्या 18110 नेताजी सुभाष चंद्र बोष इतवारी- टाटानगर मेमू पैसेंजर दिनांक 20 अप्रैल, 2024 को रद्द रहेगी।

गंतव्य से पहले समाप्त / शुरू होने वाली गाड़ियां-

(1) गाड़ी संख्या 08862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर दिनांक 20 अप्रैल 2024 को बिलासपुर में समाप्त कर दी जाएगी यह गाड़ी बिलासपुर -गोंदिया के मध्य रद्द रहेगी।

(2) गाड़ी संख्या 08861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर दिनांक 20 अप्रैल 2024 को गोंदिया के स्थान पर बिलासपुर से झारसुगुड़ा के लिए रवाना की जाएगी यह गाड़ी गोंदिया-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी।

(3) गाड़ी संख्या 08816 अंतागढ़-रायपुर डेमू पैसेंजर दिनांक 20 एवं 21 अप्रैल 2024 को दुर्ग में समाप्त कर दी जाएगी यह गाड़ी दुर्ग- रायपुर के मध्य रद्द रहेगी ।

(4) गाड़ी संख्या 08815 रायपुर-अंतागढ़ डेमू पैसेंजर दिनांक 20 एवं 21 अप्रैल 2024 को दुर्ग से रवाना की जाएगी यह गाड़ी रायपुर- दुर्ग के मध्य रद्द रहेगी।

(5) गाड़ी संख्या 08834 ताड़ोकी-रायपुर डेमू पैसेंजर दिनांक 20 अप्रैल 2024 को दुर्ग में समाप्त कर दी जाएगी यह गाड़ी दुर्ग – रायपुर के मध्य रद्द रहेगी।

(6) गाड़ी संख्या 08833 रायपुर-ताड़ोकी डेमू पैसेंजर दिनांक 20 अप्रैल 2024 को दुर्ग से रवाना की जाएगी यह गाड़ी रायपुर- दुर्ग के मध्य रद्द रहेगी ।

(7) गाड़ी संख्या 18530 विशाखापट्टनम-दुर्ग एक्सप्रेस दिनांक 19 एवं 20 अप्रैल 2024 को बेलसोंडा में समाप्त कर दी जाएगी यह गाड़ी बेलसोंडा - दुर्ग के मध्य रद्द रहेगी।

(8) गाड़ी संख्या 18529 दुर्ग विशाखापट्टनम एक्सप्रेस दिनांक 20 एवं 21 अप्रैल 2024 को दुर्ग के स्थान पर बेलसोंडा से रवाना की जाएगी यह गाड़ी दुर्ग-बेलसोंडा के मध्य रद्द रहेगी।

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान नक्सली वारदात में शहीद जवान को 30 लाख रुपए और घायल जवान को 15 लाख रुपए की दी जा रही अनुग्रह राशि

रायपुर

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार बस्तर लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन कार्य में नियोजित सीआरपीएफ के शहीद आरक्षक देवेन्द्र कुमार के परिजनों को छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिकर नियमानुसार 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। वहीं निर्वाचन ड्यूटी के दौरान घायल सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट मनु एचसी को 15 लाख रूपए की अनुग्रह राशि की स्वीकृति दी जा रही है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन कार्य हेतु नियोजित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सुरक्षा बलों के जवानों के निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत्यु अथवा घायल होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिकर नियमानुसार अनुग्रह राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान के दौरान शहीद और घायल जवानों के लिए नियमानुसार अनुग्रह प्रतिकर भुगतान राशि की स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान के दौरान बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्र गलगम में आउटर कार्डन ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ के डी/196 कंपनी के आरक्षक देवेन्द्र कुमार द्वारा कैंपस के बाहर एरिया डोमिनेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से गंभीर चोट लगने से घायल हो गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से रायपुर लाते समय उनका निधन हो गया।

बीजापुर में सीआरपीएफ के 62वीं बटालियन की ई कम्पनी मतदान के मद्देनजर एरिया डोमिनेशन पर निकली थी। एरिया डोमिनेशन के दौरान थाना भैरमगढ़ क्षेत्रांतर्गत चिहका क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट हो गया। प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट मनु एचसी घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से रायपुर लाया गया है।

रेलवे स्टेशन में यात्री के बैग से मिले 6.84 लाख रुपए नगद

रायपुर । आरएनएस

रायपुर रेलवे स्टेशन में आरपीएफ की टीम ने एक यात्री के बैग से करीब 6.84 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। बरामद कैश को लोकसभा चुनाव उडऩदस्ता के कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीप्ति तिवारी को कागजी कार्रवाई के बाद हेंडओवर किया है।

मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रेलवे स्टेशन रायपुर में सीआईबी (डी. विंग) रायपुर के उपनिरी. बीआर साहू, स.उ.नि.एस.के.राठौर, प्र.आ. सीएमकेबी दुबे व आ. एनके महाणा द्वारा रायपुर रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म एवं ट्रेनों में चेकिंग के दौरान प्लेटफार्म नं. 1 दुर्ग छोर में समय करीबन

11.10 बजे गाड़ी संख्या 12069 (जनशताब्दी एक्सप्रेस) से उतरकर एक व्यक्ति संदिग्धावस्था में जा रहा था। उक्त व्यक्ति को रोककर नाम पता पूछने पर नरेन्द्र शर्मा पिता घनश्याम शर्मा, उम्र 44 वर्ष,निवासी-बलभद्र वार्ड भाटापारा थाना-भाटापारा शहरी जिला-बलोदाबाजार (छग) बताया तथा उसके पास रखे थैला के बारे में पूछने पर उसने बैग में नगद रकम है। नगदी रकम ले जाने के संबंध में कागजात की मांग करने पर मौके पर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। जिसके बाद उक्त जानकारी वरिष्ठ.अधिकारियों को देते हुए आदेशानुसार लोकसभा चुनाव उडऩदस्ता दल (उत्तर) रायपुर नगर को फ ोन द्वारा दी गयी। उडऩदस्ता टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त बैग को उपस्थित गवाहों के समक्ष खुलवाकर चेक करने पर उसमें 500 के 1103 नोट कुल 5,51,500 रूपये, 200 के 633 नोट कुल 1,26,600 रूपये तथा 100 के 63 नोट कुल 6300 रूपये के नोटों का बंडल कुल रूपये 6 लाख 84 हजार चार सौ रुपए पाया गया। जिसे मौके पर लोकसभा चुनाव उडऩदस्ता के कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीप्ति तिवारी,रायपुर नगर उत्तर द्वारा जप्ती की कार्यवाही कर अपने कब्जे में लिया गया।

कार से 11 लाख रुपए बरामद

सक्ती । आरएनएस

जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग के दौरान एफएसटी की टीम ने एक व्यापारी की कार से साढ़े 11 लाख रुपए बरामद किए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के बॉर्डर एरिया में स्थापित एफसटी चेक प्वाइंट में कार की तलाशी ली जा रही थी इसी दौरान वहां से गुजर रही एक कार को रोका गया। पुछताछ में कार सवार ने अपना नाम अनूप कुमार अग्रवाल बताया तथा खुद को चांपा का व्यापारी होना तथा रायगढ़ जाना बताया। जिसके बाद टीम द्वारा कार की जांच की गई तो कार की सीट के नीचे एक बैग मिला जिसकी जांच करने पर बैग से साढ़े 11 लाख रुपए नगद पाए गए। अधिकारियों ने रुपए के संबंध में कागजात मांगे मगर मौके पर व्यापारी के पास कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थे। जिसके चलते एफएसटी अधिकारियों ने रुपए जब्त कर आयकर विभाग को सौंप दिया है।

सूखती नदियां और घटते तालाब पर कार्यशाला एवं व्याख्यान का आयोजन

रायपुर । आरएनएस

भारतीय सांस्कृतिक निधि (इंटैक) तथा मानव विज्ञान विभाग रविशंकर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में तालाब हमारी धरोहर तथा छत्तीसगढ़ की नदी घाटी की सभ्यता 'विषय पर एक कार्यशाला एवं व्याख्यान का आयोजन किया गया। इंटैक के राज्य संयोजक अरविन्द मिश्र ने वक्ताओं के चिंतन के विषय में बताया कि क?षि वैज्ञानिक दिनेश के मारोठिया के अनुसार रतनपुर के प्राचीन तालाबों का निर्माण आज भी अनुकरणीय है। उन्होंने रायपुर के बुढ़ा तालाब तथा जगदलपुर के दलपत तालाब की वर्तमान दशा की

ओर ध्यानाकर्षण किया। कुलपति सच्चिदानंद शुक्ल ने तालाब और नदी की पूजा और सेवा करने वाली माताओं को अनुकरणीय कहा। पूर्व कुलपति शिवकुमार पांडे ने कहा कि प्राचीन परंपरा की तरह आज भी यदि पानी को ईश्वर मानकर चलें तो आज भी कारगर होगा। हैरिटेज आर्किटेक्ट शिवी जोशी ने छत्तीसगढ़ के तालाबो के संरक्षण की विस्तृत रूपरेखा की प्रस्तुति दी।

बिहार संग्रहालयध्यक्ष विशी उपाध्याय ने संरक्षित करने का प्रायोगिक तरीका बताया। लक्ष्मी शंकर निगम इतिहासकार ने नंदी और तालाब की रोचक प्रस्तुति से विद्यार्थीयों को आकर्षित किया। उन्होंने चुनौतियां पर ज्यादा जोर दिया।

जी एल रायकवार पुरातत्ववेत्ता ने जनजीवन पर नदी की महत्ता का विस्तार से वर्णन किया। जीतेन्द्र प्रेमी विभागाध्यक्ष ने अतिथियों का स्वागत करते हुए मानव विज्ञान के रिसर्च स्कॉलरो को प्रेरित किया।इंटैक के जिला संयोजक डॉ राकेश तिवारी ने तालाब और नदी के लिए इंटैक के योगदान तथा भावी योजनाओं के बारे में बताया। अरविंद मिश्र राज्य संयोजक ने बताया कि संस्था की ओर से जनजागरण की मुहिम महासमुंद, सरईपाली कवर्धा राजनांदगांव दुर्ग आदि स्थानों में जारी है।

पत्रकारों से मारपीट करने वाले बिरयानी सेंटर के 6 कर्मचारी भेजे गए जेल

रायपुर । आरएनएस

राजधानी रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र में स्थित अशोका बिरियानी सेंटर के 6 कर्मचारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हे जेल भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार बिरयानी सेंटर में पत्रकारों से मारपीट के मामलें में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके खिलाफ आईपीएसी की धारा 294-323-506-427-34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मगर पुलिस ने एसडीएम न्यायलय में आरोपियों को आईपीसी की धारा 151 के तहत पेश किया जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने 6 आरोपियों को 26 अप्रैल तक जेल भेजा है।

बता दें कि तेलीबांधा स्थित अशोका बिरयानी के गटर में 18 अप्रैल को दो कर्मचारियों की संदिग्ध लाश मिली। दोनों साफ सफाई के लिए गटर में उतरे थे, इस दौरान दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों कर्मचारी होटल में इलेक्ट्रिशियन थे। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मीडिया के साथी कवरेज करने पहुंचे। इसी दौरान अशोका बिरयानी की महिला कर्मचारियों ने बाउंसर की तरह आगे आकर पत्रकारों को कवरेज करने से रोकना शुरू किया। पत्रकारों ने कवरेज करने की बात कही तो महिला कर्मी भडक़ गई और पत्रकारों से बत्तमीजी करते हुए उनसे मारपीट करने लगी। इसकी शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने भादवि. के अलावा प्रतिबंधात्मक धाराओं में भी कार्रवाई की है। पत्रकारों के साथ मारपीट के इस मामले को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गंभीरता से लिया था। डिप्टी सीएम के आदेश के बाद बिरयानी सेंटर के तीन कर्मचारियों की आज और गिरफ्तारी हुई। साथ ही होटल को भी बंद करवा दिया गया है।

जिले में 1300 लोगों की ऑखों की रौशनी लौटी

गरियाबंद । आरएनएस

गरियाबंद जिला को मोतियाबिंद दृष्टिहीनता से मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गार्गी यदु पॉल ने जानकारी देते हुए बताया की ग्रामीण अंचल में नेत्र सहायक अधिकारियों एवं मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा लगातार सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। जिनके द्वारा चिन्हांकित मोतियाबिंद एवं अन्य नेत्र रोगों के मरीजों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा जाता है तथा उनका नि:शुल्क उपचार एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन कराया जाता है। आमतौर पर 40 वर्ष की उम्र के बाद लोगों में दृष्टि दोष एवं मोतियाबिंद की समस्या शुरू हो जाती है।

राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत पिछले वर्ष 2023-24 में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक जिले के 25 हजार 189 बाह्य रोगियों का जांच एवं उपचार किया गया। जिसमें से 1276 मोतियाबिंद मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन एवं 24 अन्य नेत्र रोगियों का सफल ऑपरेशन किया गया है। जिला चिकित्सालय गरियाबंद में पदस्थ नेत्र विशेषज्ञ डॉ. टी.सी. पात्रे द्वारा जिला चिकित्सालय में प्रति मंगलवार को नि:शुल्क नेत्र आपरेशन किये जाते हैं। जिले के 257 पूर्व माध्यमिक शालाओं में नेत्र परीक्षण का कार्य कराया गया है जिसमें पढने वाले 18 हजार 599 छात्र-छात्राओं को नेत्र जांच का लाभ मिला, दृष्टिदोष वाले 425 छात्र-छात्राओं को जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा नि:शुल्क पावर वाले चश्में उपलब्ध कराये गये हैं। इसी तरह जिले में 1600 वृद्धजनों को नेत्र जांच उपरांत दृष्टिदोष पाये जाने पर पढऩे - लिखने के लिए नि:शुल्क पावर वाले चश्में उपलब्ध कराये गये हैं। वर्ष 2023-24 में मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु एन.जी.ओ. उषा

फाउंडेशन रायपुर की सहायता भी ली गयी थी। आगामी वर्ष में जिले को मोतियाबिंद दृष्टिहीनता से मुक्त जिला बनाने हेतु जिला नोडल अधिकारी डॉ. टी.सी.पात्रे, वरिष्ठ नेत्र सहायक अधिकारी सुविनय बोस, शेष नारायण पात्र, पुरषोत्तम निर्मलकर, योगानंद चक्रधारी, आर.पी. साहू, दीपिका साहू, भारती साहू, वाणी आराधना साहू, नितेश सिन्हा, अजय साहू, पोसुराम साहू, रामसखा गौतम सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर प्रयासरत है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU